न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 42/2025(GCMS 2025/249)
(RTI No. 21212192696 4971)

श्री सुनील कुमार गांव 18 एलजीडब्ल्यू–ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन–335803 (मोबाईल नम्बर : 96944–05926)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुनील कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2025 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुनील कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.03.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested

1. चक 18 एलजीडब्ल्यू–ए का प्रमाणित नक्शा जिसमें खाला, सडक इत्यादि को दर्शाया गया है।
2. नक्शा में खाला के प्रत्येक मुरब्बा में स्वीकृत शुदा सडक, खाला, नाका को दर्शाया गया हो।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, राजस्व सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2600 दिनांक 17.06.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के इस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही गई सूचना पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, राजस्व सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2600 दिनांक 17.06.2025 से अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested